भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 110

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत कौशल विकास पाठ्यक्रम

110. श्री सी. एन. अन्नादुरई: श्री जी. सेल्वम:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कौशल विकास पाठ्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कौशल विकास पाठ्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्थापित कौशल विकास केंद्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार कौशल विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन हेतु राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ङ) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्योरा क्या है;

(च) तमिलनाडु राज्य में पीएमकेवीवाई द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण के पश्चात् कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है; और

(छ) क्या कौशल प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से देश के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) (2022-26) के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 853 राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित जॉब रोलों (पाठ्यक्रमों) को मंजूरी

दी गई है। इस संबंध में विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। उपर्युक्त विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/loksabha पर उपलब्ध है।

(ग) तमिलनाडु राज्य में 37 (प्रधानमंत्री कौशल केंद्र) पीएमकेके स्थापित किए गए हैं और इनमें से 23 प्रचालनरत हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत पीएमकेके सहित 553 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) पीएमकेवीवाई 4.0 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, कौशल विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन के लिए राज्य सरकारों को कोई निधि प्रदान नहीं की गई है।

(च) इस स्कीम के पहले तीन संस्करणों - पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 - में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जिन्हें वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया था। हालाँकि, पीएमकेवीवाई 4.0 में, जो कि स्कीम का वर्तमान संस्करण है, जिसे वित्त-वर्ष 2022-23 से लागू किया जा रहा है, नियोजन को अलग कर दिया गया है। तमिलनाडु राज्य में पीएमकेवीवाई 1.0 से 3.0 के तहत नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या का जॉब रोल (पाठ्यक्रम) के अनुसार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। उपर्युक्त विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/loksabha पर उपलब्ध है।

(छ) मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य सीमांत समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें विशेष समूहों (महिलाओं और दिव्यांगजनों) को भोजन, आवास और परिवहन, वाहन सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान और विशेष क्षेत्रों के भीतर और बाहर प्रशिक्षण के लिए सामान्य मानदंडों में परिभाषित विशेष क्षेत्र शामिल हैं।

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से जनजातीय आबादी के कौशलोन्नयन और आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

i. 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (पीएमजेवीएम) स्कीम: जनजातीय मामलों के मंत्रालय की इस स्कीम के माध्यम से, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए धन मुहैया कराता है, जो मुख्य रूप से जनजातीय स्व-सहायता समूहों के क्लस्टर हैं, जिन्हें लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से लाभ मिलता है। वीडीवीके केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अधिकतम 15.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वीडीवीके सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण इन वीडीवीके की स्थापना के लिए एक अभिन्न अंग है।

ii. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन): जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) की एक स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का उद्देश्य 18 राज्यों सहित 1 संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह स्कीम 200 जिलों के लगभग 22,000 गांवों में 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण अन्तःक्षेपों पर केंद्रित है। मिशन में प्रमुख अन्तःक्षेपों में से एक पीवीटीजी मलिन बस्तियों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बहुउद्देशीय केंद्रों का विकास,

आदिवासी छात्रावास, इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार वनधन विकास केंद्र में प्रशिक्षण/कौशल/उद्यमशीलता विकास करना है।

*****